# मध्यप्रदेश विधान सभा

## नवम्बर, 1997 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 16, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का दिनांक 30 जून, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रमेश शर्मा, शैलेन्द्र प्रधान, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, भोपाल में पुलिस प्रताड़ना से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री घनश्याम पाटीदार, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, प्रदेश की जावरा एवं सीहोर शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री लल्लू सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, रायगढ़ जिले में यात्री बस कुट-कुट नदी में गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री गोपाल परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के आगर स्थित मन्दिर में लूट-पाट कर पुजारी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) कस्बा लहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में कॉमर्स विषय प्रारंभ कराये जाने,
(ख) कस्बा लहार में विद्युत पोल एवं विद्युत लाईने बदले जाने, तथा
(ग) अखदेवा माईनर के किलोमीटर 26 पर स्थित पुल को उप-माईनर बनाये जाने, एवं

(2) श्री चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम कस्बाताल से दीपनाखेड़ा तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

### 5. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये आठ-आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा देवी अहिल्या वि श्वविद्यालय, इन्दौर की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से क्रमशः आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

**6. शासकीय विधि विषयक कार्य**

निर्धारित समय 1 घन्टा — श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वास-स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 36 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**7. अशासकीय संकल्प**

(1) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. — " सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त आवासीय प्लाट, गांव जहां की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना में 100 लोगों से अधिक है तथा शासकीय रास्ता उपलब्ध नहीं है, में एक निश्चित समय के भीतर शासन जमीन अधिगृहीत कर शासकीय रास्ता उपलब्ध कराये".

(2) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

1 घन्टा — " सदन का यह मत है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो में बढ़ती हुई रैगिंग प्रथा को समाप्त करने के लिये विश्वविद्यालय कानून में संशोधन कर इस पर सख्ती से रोक लगाई जाय".

(3) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. — " सदन का यह मत है कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाय".

**के.पी.तिवारी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

भोपाल :
**दिनांक : 8 नवम्बर, 1997**